न्यायालय अनुमंडल पदाधिकारी, महागामा

पी0ए0 केश नं0– 11 / 21–22

विकास कुमार जायसवाल बनाम् रैयान मौजा–पेरनरायकित्ता

–: आदेश :–

09.12.2022

वर्तमान वाद आवेदक विकास कु0 जायसवाल, पे0–नरेश प्र0 जायसवाल, सा0–मोरडीहा, थाना व अंचल–ठाकुरगंगटी, जिला–गोड्डा के आवेदन पर संथाल परगना काश्तकारी (पूरक) अधिनियम, 1949 की धारा–6 के तहत मौजा– पेरनरायकित्ता नं0–192 के प्रधान की मृत्यु के फलस्वरूप रिक्त प्रधानी पद पर नियुक्ति हेतु प्रारंभ किया गया है। प्राप्त आवेदन के आलोक में अंचल अधिकारी, ठाकुरगंगटी से जांच प्रतिवेदन की मांग की गई।

आवेदक के विज्ञ अधिवक्ता को सुना एवं अभिलेख में संलग्न कागजात का अवलोकन किया।

अंचल अधिकारी, ठाकुरगंगटी ने अपने पत्रांक–16 / रा0, दिनांक–15.01.2022 एवं पत्रांक–491 / रा0, दिनांक–26.11.2022 के द्वारा जांचोपरांत प्रतिवेदित किया है कि प्रासंगिक मौजा प्रधानी मौजा रहा होगा, जो वर्त्तमान में खास है। आवेदक जमाबंदी रैयत नंद कुमार चौधरी प्रधान के परपोता हैं। गत सर्वे सेटलमेंट पर्चा में मौजा–पेरनरायकिता थाना नं0–192, जमाबंदी नं0–01 रैयत नंद कुमार चौधरी प्रधान व राधा प्रसाद चौधरी व सत्यनारायण चौधरी, पे0–भवानी दीन चौधरी, कौम–कलवार, साकिन–मोरडीहा, किस्म–रैयत प्रधान का जोत कहकर दर्ज है। विगत गेंजर सेटलमेंट सर्वे के उपरांत ग्राम प्रधान की नियुक्ति नहीं होने के कारण खास वसूली की जा रही है।

अतः उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में मौजा–पेरनरायकिता थाना नं0–192, जमाबंदी नं0–01 अंतर्गत विगत गेंजर सेटलमेंट सर्वे के उपरांत ग्राम प्रधान की नियुक्ति नहीं होने के कारण आवेदक के आवेदन को खारिज करते हुए प्रासंगिक मौजा को खास घोषित करने हेतु अनुशंसा की जाती है। तद्नुसार अभिलेख उपायुक्त, गोड्डा को भेजें।

लेखापित एवं संशोधित।

09.12.22

अनुमंडल पदाधिकारी,
महागामा।

09.12.22

अनुमंडल पदाधिकारी,
महागामा।

Seen
Remote Kumar Singh
Ad
12/04/23

Digitally signed by Saurabh Kumar Bhuwania
Date: 2023.04.17 15:02:00 +05:30
Location: 192.168.8.116

F/Order.